# नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) हल्द्वानी

## मैनुअल–3

संस्थान में निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित कर्मचारियों के संबंध में ) निम्नानुसार हैः–

1– संस्थानों में चतुर्थ एवं लिपिकीय वर्गीय कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकार संस्थान के प्रधानाचार्य को है। नियुक्ति प्राधिकार के अन्तर्गत कर्मचारियों के सेवा मामलों में निर्णय लेने का अधिकार प्रधानाचार्य का है। संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु प्रधानाचार्य द्वारा संस्तुति की जाती है। संस्थान कर्मचारियों की स्थाई तथा अस्थाई भविष्य निधि अग्रिम , प्रधानाचार्य द्वारा स्वीकृत की जाती है।

2– ऐसे कर्मचारी जिनके नियुक्ति अधिकारी निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन है के सेवा सम्बन्धी मामलों में निर्णय करने की निम्न प्रक्रिया नियत है।ः–

(ए) ऐसे कर्मचारियों को तीस दिन तक उपार्जित अवकाश/30 दिन चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार तैनात प्रधानाचार्य को है।

(बी) तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ए0सी0पी0 वेतनवृद्धि एवं उच्च वेतनमान स्वीकृत भी प्रधानाचार्य द्वारा की जाती हैं

3– पत्रावलियों का प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

कार्यालय : सम्बन्धित सहायक–प्रधानाचार्य/कार्यालयाध्यक्ष
कार्यशालाः सम्बन्धित कर्मचारी– सुरक्षा प्रभारी–प्रधानाचार्य
सुरक्षाः सम्बन्धित सहायक–कार्यदेशक–प्रधानाचार्य
भण्डारः भण्डारी–भण्डार प्रभारी–प्रधानाचार्य